राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 98/2018

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब रूपनगढ जिला अजमेर ––वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र मूला, जाति जाट, सा. पंवारों की ढाणी वगैरह ––– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी. एक्ट एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय **दिनांक–07.07.2021**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंवारों की ढाणी स्थित आराजी खसरा नम्बर–19 रकबा 28–13 बीघा भूमि में वर्तमान एवं पुराने रिकॉर्ड अनुसार खातेदारान का हिस्सा पूर्ण, एक नहीं होता है। उक्त भूमि रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी की स्थित है। वर्तमान में जमाबंदी में प्रत्येक खाते का सेग्रिगेशन का कार्यराज्य सरकार के आदेशानुसार किया जा रहा है एवं प्रत्येक खाते का सेग्रिगेशन का कार्य अनिवार्य रुप से किये जाने के आदेश राज्य सरकार की ओर से प्रसारित है। वाद ग्रस्त भूमि के संयुक्त खाते के खातेदारान का जमाबंदी अनुसार प्रत्येक खातेदारान के हिस्से का निर्धारण नही हो पा रहा है जिससे जमाबंदी खाता सेग्रिगेशन का कार्य नही हो पा रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटस की गई। प्रतिवादीगण उपस्थित हुऐ एवं उन्होने अपना हिस्सा जाहिर किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 07 से 09, 11 से 47 की ओर से वकील ध्रुवसिंह चौधरी उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने जवाब हेतु समय चाहा, किन्तु जवाब पेश नही किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा जाहिर कथनों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में कब्जे संबंधी विवाद को लेकर इसी न्यायालय में अन्य मुकदमा विचाराधीन चल रहा है। उक्त खाते का कुल रकबा 28–13 बीघा है जबकी सभी खातेदारों के हिस्से से गणना करने पर रकबा दुगुना होता है जो असंभव है। इस कारण उक्त खाते में हिस्से की शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के पत्र क्रमांक–कअ/भूअ/ DILRMP Proposal/5349 दिनांक–07.07.2021 के द्वारा भी अपवादित खातों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। अतः ग्राम पंवारों की ढाणी स्थित खसरा नम्बर 19 रकबा 28–13 बीघा भूमि में अंकित सभी खातेदारान का हिस्सा आनुपातिक रुप से 1/2 अर्थात आधा करते हुए मांगीलाल, धन्नाराम, भोलुराम, रुपाराम पि0 मूला, मु0 रुकमादेवी पत्नि मूला हि0 1/6 हि0ब0 छोटीदेवी पत्नि शौराम 1/3 हिस्सा कौम जाट सा0 पंवारों की ढाणी, सोनकी पत्नि रतना, भंवरलाल देवकरण पि0 रतना केलकी पत्नि घीसा व रोडु पुत्र घीसा तेजा मूला हरकरण पि0 मोडा 1/8 हिस्सा, गमला पुत्री रामकरण हि0 1/64 मोहन पुत्र रामकरण 3/64 हिस्सा, नानीदेवी पत्नि अर्जुन सुरज्ञान विमला कान्ता सीता धायला आयचुकी नैराज प्रेमराज मोगा पि0 अर्जुन हि0 1/32 कानाराम गीगादेवी जनका देवी पि0 उमा सोनकी देवी पत्नि उमा हि0 1/32, लिछमण सुवाराम सुजाराम पि0 जोधा 1/16 हि0 नन्दा उगमा पि0 रामदीन 1/16 हि0 सुण्डाराम गोरधन चुन्नीलाल रामीदेवी अणछी देवी पि0 हरनाथ हि0 1/16 पेमाराम हरदीन गिरधारी लाल जंवरीलाल घासी पारादेवी पि0 भंवरलाल [illegible] हि0 1/16 कौम जाट सा0 करकेडी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय DILRMP की [illegible] पूर्ण करने के लिए अस्थायी निर्णय है जो मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.15 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

द प्रकरण संख्या– 275/2014 सोनकी बनाम रुकमादेवी अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय के पूर्ण अधीन रहेगा।

निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.15 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested